अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, दुमका।

रे0मि0 रिविजन सं0 48/11-12

श्रीमंत मसात.....आवेदक।

बनाम

अनिल मंडल.....विपक्षी।

।।आदेश।।

10-11-2017

यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 48/11-12 श्रीमंत मसात बनाम अनिल मंडल सा0 झखिया अंचल जरमुण्डी के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर0ई0 बाद सं0 49/07-08 में पारित आदेश दिनांक 05.10.2009 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन में उल्लेख किया गया है कि निम्न न्यायालय में पारित आदेशानुसार आवेदक को मौजा के दाग सं0 539 एवं 540 के अतिक्रमित भूमि से उच्छेदित किया गया है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में आवेदक द्वारा दाग सं0 540 में रकवां 02 धूर एवं दाग सं0 539 में रकवा 09 धूर जमीन अतिक्रमण ट्रेश नक्शा में दर्शाया गया है किन्तु इसमें अतिक्रमण जमीन का लम्बाई एवं चौड़ाई के सम्बन्ध में उल्लेखित नहीं है। आवेदक का मकान दाग सं0 544 एवं 545 में अवस्थित है एवं दाग सं0 540 गली के रूप उपयोग किया जा रहा है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के विरूद्ध निम्न न्यायालय में आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया था किन्तु इस पर पुनः प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया गया है। जो न्याय संगत नहीं है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए रिविजन आवेदन को स्वीकृत करने का प्रार्थना किया गया है।

आवेदक लगातार कई तिथियों से न्यायालय में उपस्थित नहीं है। फलतः उनके ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक को निर्गत नोटिस बिना तामिला का प्रतिवेदन के साथ वापस किया गया है, जिसमें प्रक्रिया पालक (प्रोसेस पिऊन) का प्रतिवेदन है कि आवेदक मौजा झखिया में नहीं रहते है।

मैनें विपक्षी के विद्धान अधिवक्ता को सुनी तथा उनके द्वारा दाखिल लिखित वहस एवं कागजातों को अवलोकन की।

विपक्षी द्वारा अपने लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि गत सर्वे में जमाबंदी सं0 55 मो0 हडनी वधौताईन जोजे मधु वधौत वो मंगल मंडल वो नीरू मंडल व तिरू मंडल सभी के पिता गया मंडल के नाम से दर्ज है। गत सर्वे के दाग सं0 539 एवं 540 हाल सर्वे के नया दाग सं0 680 एवं 681 बना है जो विपक्षी के पूवर्जो के नाम से दर्ज है। आवेदक को प्रश्नगत जमीन से किसी प्रकार हक एवं अधिकार नहीं है और न ही उक्त जमाबंदी से कोई संबंध है। अतः आवेदक द्वारा दायर रिविजन आवेदन को खारीज किया जाय।

विपक्षी द्वारा दाखिल वर्त्तमान सर्वे का खतियान की छाया प्रति के अवलोकन से प्रतीत होता है कि दाग सं0 680 एंव 681 मकान मय सहन बोलकर जमाबंदी सं0 64 मंगल मंडल वो निरू मंडल वो तीरू मंडल पिता गया मंडल के नाम से दर्ज है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत दाग सं0 539 में रकवा 09 धूर एवं दाग सं0 540 रकवा 02 धूर जमीन अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। प्रश्नगत दाग मौजा झखिया के जमाबंदी सं0 55 के अन्तर्गत तिरू मंडल के हिस्सा में पड़ता है एवं विपक्षी तिरू मंडल के एक मात्र पुत्र है। निम्न न्यायालय के आदेश में उल्लेख है कि विपक्षी द्वारा कोई कारण-पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। फलतः उन्हें निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत दाग के अतिक्रमित भूमि से उच्छेदित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन विपक्षी के पूर्वजों के नाम से दर्ज है जिसमें आवेदक द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने न तो इस न्यायालय में कोई सबूती प्रमाण सम्बन्धी कागजात दाखिल किया है और न तो निम्न न्यायालय में कोई कारण-पृच्छा दाखिल किया है। साथ ही आवेदक कई तिथियों से न्यायालय में अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है। अतः इसे बरकरार रखते हुए आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

10/11/17

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।